

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 2-9-2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटैनेरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम/ स्थान
1	श्री भगत सिंह	आर/355/11	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक ,सं02, भरतपुर
2	श्री हंसराम गुर्जर	आर/1114/03	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक ,सं01, बयाना, भरतपुर

आज्ञा से


५०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 18 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 19 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 20 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 21 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 22 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 23 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 24 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 25 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- 26 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं० 2 भरतपुर/ सं० 1 बयाना, जिला भरतपुर।
- 27 जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 28 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 29 संबधित अभियोजक।
- 30 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 31 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 32 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 33 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 34 रक्षित पत्रावली।



(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण